

सीसीआरएएस (भारत)

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिद्
संस्थागत क्षेत्र, सम्मुख "डी" ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
फोन नं0 28525831, 28525852, 28525862, 28525883, 28525897, 28520501
फैक्स: 011-28520748
ई-मेल

आयु-न विभाग,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

1. संगठन का विवरण, कार्यसंचालन एवं कर्तव्य

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) भारत में आयुर्वेद एवं सिद्ध में समन्वय अनुदान एवं अनुसंधान प्रोन्नति के लिए वचन बद्ध हेतु एक शीर्ष निकाय है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद् की पहले पहल 1978 में अलग किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् की स्थापना हुई। परिषद् के अधीन प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण में कार्यरत अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों देश के विभिन्न भागों में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों/चिकित्सालयों के नेटवर्क के माध्यम से गतिविधियों को कार्यान्वित करती है। परिषद् के अनुसंधान गतिविधियों में नैदानिक चिकित्सा अनुसंधान, औषधि अनु., परिवार कल्याण अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान, पौक, आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन एवं पंचकर्म के जैव चिकित्सा उपकरण इत्यादि सम्मिलित है। वर्तमान में 39 अनुसंधान संस्थान/केन्द्रों/एककों में कार्यरत हैं उनकी पता सूची एवं गतिविधि अनुलग्नक -I को देखें)

परिषद् ने कई प्रमुख संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्य लिया है। (कृपया अनुलग्नक-II को देखें)

इसके अलावा परिषद् विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों का संचालन कर रही है। (कृपया अनुलग्नक-III को देखें)

2. पूर्णतया लक्ष्य एवं दृष्टि

लक्ष्य

भारत की अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिषद् ने आयुर्वेद एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति में लक्ष्य ग्रहण किया है तथा रोग निदान, रोगनिवारण एवं अनुसंधान गतिविधि कला के माध्यम से रोग प्रबंधन तथा रोग निदान के क्षेत्र में गोलीय नेतृत्व करने के लिए निरन्तर उत्कृष्ट प्रयास करने के लिए लक्ष्य को अपनाया है।

दृष्टि

आपात स्वास्थ्य दृश्य में वृद्धि के कारण एवं आयुर्वेद एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति की आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् ने 2020 के लिए निम्नलिखित दृष्टि विवरण को प्रतिज्ञापित किया है।

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् को गतिशील मान एवं मॉडल संगठन बनाने के लिए उत्तरदायित्व लेकर, समन्वय, अनुदान तथा आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान प्रोन्नति को विकसित करेंगे।

सीसीआरएस(भारत)

- हम देश की आपात स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की दृष्टि से भारत की आवश्यकता पर अनुसंधान को केन्द्रित करेंगे ।
- हम अनुसंधान में उपचार एवं आपात महत्व के रोग निवारण के लिए तथा स्वास्थ्य आवश्यकता के लिए वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करेंगे ।
- प्रतिस्पर्धात्मक प्रोन्नति, उत्कृष्ट तथा परिशुद्ध के शोधकर्त्ताओं के बीच परिवर्तन हेतु पद्धति को विकसित करेंगे ।
- हम आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को स्थापित करेंगे तथा वैज्ञानिक तरीके से आयुर्वेद एवं सिद्ध की तकनीक का विकास करेंगे ।

3. हमारी टिप्पणी

- परिशुद्ध महत्वपूर्ण रोगों की आयुर्वेद सिद्ध चिकित्सा पद्धति के माध्यम की सहायता समाधान से पता लगाने के लिए अनुसंधान संकेन्द्रित करेंगे ।
- हम भारत तथा विदेशों में आयुर्वेद एवं सिद्ध को प्रोन्नति करेंगे ।
- परिशुद्ध कर्त्तव्यनिष्ठ, अनुशासित एवं कार्यक्षमता पर कायम रहेगा ।
- हम सभी पणधारियों के साथ आदर एवं शिष्टाचार का व्यवहार करेंगे ।
- हमारे स्टाफ सहायक एवं सहयोग करने वाले हैं ।
- आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान से संबंधित पूछताछ को हम तत्परता से ग्रहण करते हैं। हम बहिरंग /अंतरंग रोगी विभाग में आने वाले रोगियों को उपचार कला की सुविधा प्रदान करते हैं।

4. हमारे उद्देश्य

- वैज्ञानिक तरीके से आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान कार्यक्रम परियोजना को प्रतिपादित करना।
- समयबद्ध एवं मूल्य-प्रभावित तरीके से आयुर्वेद एवं सिद्ध में वैज्ञानिक अनुसंधान का उत्तरदायित्व लेना ।
- केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिशुद्ध के विभिन्न एककों एवं अन्य सम्बद्ध परिशुद्धों/संगठनों के साथ समन्वय, अनुदान, उन्नयन तथा संयुक्त रूप से अनुसंधान करना ।
- अनुसंधान परिणाम प्रचार के लिए अनुसंधान उपलब्धि/लेख/अनुसंधान पत्रिकाओं का मुद्रण, प्रकाशन एवं प्रदर्शन करना।

- अनुसंधान परियोजना/औषध विकास के लिए परामर्श सेवा प्रदान करना ।
- आयुर्वेद में प्रयुक्त उपकरणों का अन्य तकनीकी संगठनों के सहयोग से आधुनिकीकरण करना ।

पुस्तकालय सेवा: परि-न्द् विभिन्न संस्थानों में पुस्तकालय का रख-रखाव कर रही है तथा पाण्डुलिपियों भारतीय आयुर्विज्ञान इतिहास संस्थान हैदराबाद दुर्लभ पुस्तकों आदि से संबंधित सामग्रियों पर सहायता एवं सूचना प्रदान करने के लिए संग्रहालय/ मुख्यालय स्थित परि-न्द् की पुस्तकालय में 11,500 से अधिक आयुर्वेद, सिद्ध एवं आधुनिक चिकित्सा से संबंधित पुस्तकें हैं। परि-न्द् वैज्ञानिक पत्रिकाओं/सामयिक पत्रिकाएं भी निकालती है।

प्रकाशन एवं बिक्री: अनुसंधान से संबंधित प्रकाशन एवं सामान्य जन के स्वास्थ्य लाभ से संबंधित प्रकाशनों के लिए प्रकाशन एवं बिक्री हेतु परि-न्द् में प्रकाशन प्रभाग है। (कृपया विवरण हेतु हमारे वेबसाइट www.ccras.nic.in को देखें)।

वित्तीय सहायता: आयुर्वेद एवं सिद्ध संगठनों, बैयक्तिक एवं उद्योगों को इएमआर परियोजनाओं के माध्यम से आयुर्वेद एवं सिद्ध के विकास के लिए परि-न्द् वित्तीय सहायता का विस्तारण करती है तथा परि-न्द् आयुर्वेद एवं सिद्ध के आयुर्विज्ञान वाचस्पति/विद्यावाचस्पति विद्वानों को वित्तीय सहायता देने के लिए आकस्मिक अनुदान प्रदान करती है। (विवरण के लिए हमारे वेबसाइट www.ccras.nic.in इन को देखें

संग्रहालय: परि-न्द् की अनुसंधान गतिविधि को प्रदर्शित करने के लिए मुख्यालय में केन्द्रीय उदभिद्दालय एवं संग्रहालय का रख-रखाव किया जाता है।

शिकायत निवारण यांत्रिक - यहां मुख्य सतर्कता अधिकारी के नियन्त्रण में सतर्कता प्रको-ठ है। मुख्य सतर्कता अधिकारी को दिन- प्रतिदिन के कार्य में प्रशासनिक अधिकारी सहायता करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी के नाम एवं पता इस प्रकार से है -

7. मुख्य सतर्कता अधिकारी
केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परि-न्द्
सं0 61-65, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058
दूरभा-न संख्या - 28525831 फ़ैक्स सं. 28520748
ई मेल - सीसीआरएएस, एडमिन निक.इन.
हमारे वेबसाइट को देखें - www.ccras.nic.in

कर्मचारियों के शिकायत निवारण के लिए जन शिकायत अधिकारी हैं। उनका नाम एवं पता अधोलिखित है-

उप निदेशक (प्रशासन)
केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परि-न्द्
संख्या - 61-65, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
दूरभा-न सं0 28522010, फ़ैक्स सं.28520748
ई मेल- हमारे वेबसाइट को देखें - www.ccras.nic.in

8. मुख्य कार्यालय एवं सम्बद्ध संस्थानों/एककों का डाक पता -
केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परि-न्द्
संख्या 61-65, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
दूरभा-न सं. 28525520, 28524457, फ़ैक्स सं0 28520748
ई मेल - www.ccras.nic.in

केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्
संस्थानों/केंद्रों के पतों तथा उनके क्रियाकलापों की सूची

क्रमांक एकक का नाम

अनुसंधान का क्षेत्र

1. सहायक निदेशक

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)

रोड नं. 66, पंजाबी बाग,

नई दिल्ली ढ 110026

011/ 25229128, 25221059, 25229128 (टेलीफेक्स)

ई मेल& c ria_ pb@ rediffmail com

✂ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)

✂ मेदोरोग (लिपिड डिसार्डर)

✂ व्यानबल वै-नम्य(हाइपरटेंशन)

✂ अर्श (पाइल्स)

✂ भगन्दर (फिस्टुला - इन -एनो)

✂ अपस्मार (एपिलेप्सी)

✂ पक्षाघात (हेमिप्लेजिया)

✂ गृध्रसी (सायटिका)

✂ मधुमेह (डाइबिटीज मेलिटस)

✂ दृ-टिदो-न (मायोपिया)

2. निदेशक (संस्थान),

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सिद्ध),

ए.ए.गवर्नमेंट हास्पिटल कैम्पस

अरुम्वक्कम, ल चेन्नई - 600 106

044/26214809 (कार्या.), 26214925 (उद्यान)

ई. मेल:crisiddha@gmail.com

✂ पुत्रनोई (कैंसर)

✂ कलंजगपदाई (सोरियासिस)

✂ संतु वाथ सूलाई

(रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)

✂ मंजाल कमलाई (इंफेक्टिव

हेपेटाइटिस)

✂ वेनपदाई (विटिलिगो)

✂ नीरीजिवू (डाइबिटीज मेलिटस)

✂ वेलिगुनमाम (पेप्टिक अल्सर)

3. प्रभारी अनुसंधान अधिकारी
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
आर.ए.पोदार कॉलेज,
वर्ली, मुंबई - 4000 18
022/24947822 (टैलीफैक्स)
022/24947833 (कार्यालय)
ई.मेल: criamum@vsnl.net

✂ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✂ वि-मज्वर (मलेरिया)
✂ मेदोरोग (लिपिड डिस्ऑर्डर)

✂ व्यानबल वै-म्य (हाइपरटेंशन)
✂ अर्श (पाइल्स)
✂ भगंदर (फिस्टुला - इन - एनो)

4. निदेशक (संस्थान)
रा-द्रीय आयुर्वेद औ-नघ विकास संस्थान, कोलकाता
4 सी.एन.ब्लाक, सेक्टर ५, विधान नगर
कोलकाता - 700091
033/23673808 (टैलीफैक्स)
ई.मेल: crikolkata@yahoo.com

✂ मेदोरोग (लिपिड डिस्ऑर्डर)

✂ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
(एन.आई.ए.डी.डी.)

✂ व्यानबल वै-म्य (हाइपरटेंशन)
✂ अर्श (पाइल्स)

✂ भगंदर (फिस्टुला - इन. एनो)
✂ अपस्मार (एपिलेप्सी)
✂ मधुमेह (डायबिटीज मेलिटस)
✂ परिणाम शूल (ड्यूडिनल अल्सर)

5. प्रभारी सहायक निदेशक
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
चेरुथुरुथी, वाया शोरानूर
जिला त्रिचुर, केरल - 679531
04884/262543 (टैलीफैक्स), 262366 (कार्यालय)
ई.मेल: cricheruthuruthy@yahoo.co.in

✂ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✂ व्यानबल वै-म्य (हाइपरटेंशन)
✂ पंगु (पैराप्लेजिया)
✂ किटिभ (सोरियासिस)
✂ पक्षाघात (हेमिप्लेजिया)
✂ गृध्रसी (सियाटिका)

6. प्रभारी सहायक निदेशक
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
यूनिट संख्या - 1
भुवनेश्वर - 751009
0674/2531941, 2530125 (टैलीफैक्स)
ई.मेल: cribbsr_ayurveda@yahoo.co.in

✂ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✂ श्लीपद (फाईलेरियासिस)
✂ व्यानबल वै-म्य (हाइपरटेंशन)

✂ अर्श (पाइल्स)
✂ भगंदर (फिस्टुला - इन. एनो)
✂ तमक श्वास (ब्रॉंकियल अस्थमा)
✂ पक्षाघात (हेमिप्लेजिया)
✂ परिणाम शूल (ड्यूडिनल अल्सर)
✂ मधुमेह (डायबिटीज मेलिटस)
✂ किटिभ (सोरियासिस)

7. प्रभारी निदेशक
रा-ट्रीय आयुर्वेदिक औ-धीय अनुसंधान संस्थान 28361
(कार्यालय)
मोती बाग रोड,
पटियाला - 679531
0175/2212393 (टैलीफैक्स)
ई.मेल: criaptla@dataone.in

✘ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✘ मेनोद्वेग (एंग्जाइटी न्यूरोसिस)
✘ व्यानबल वै-भ्य (हाइपरटेंशन)
✘ मेदोरोग (लिपिड डिसार्डर)
✘ तमक श्वास (ब्रॉकियल अस्थमा)
✘ पक्षाघात (हेमिप्लेजिया)
✘ किटिभ (सोरियासिस)

8. प्रभारी सहायक निदेशक
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
राजकीय आयुर्वेद अस्पताल
आमखो, ग्वालियर - 474009
0175/2323307 (टैलीफैक्स), 2430317 (फैक्स)
ई.मेल: criagwl@rediffmail.com

✘ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✘ ग्रहणी रोग (माल एब्जोर्प्शन सिंड्रोम)
✘ व्यानबल वै-भ्य (हाइपरटेंशन)
✘ अर्श (पाइल्स)

9. प्रभारी अनुसंधान अधिकारार
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
474/6 सीतापुर रोड,
लखनऊ- 2206020
0522/2362341 (कार्यालय), 2369156 (टैलीफैक्स)
ई.मेल: cria.lko@gmail.com

✘ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✘ मेनोद्वेग (एंग्जाइटी न्यूरोसिस)
✘ अर्श (पाइल्स)
✘ मेदोरोग (लिपिड डिसार्डर)
✘ गृध्रसी (सियाटिका)
✘ कामला (जॉण्डिस)

10. निदेशक (संस्थान)
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
इंदिरा कालोनी झोटवाड़ा,
बनी पार्क, जयपुर -302016
0141/2281812 (टैलीफैक्स), 2282618
ई.मेल cria_jpr08@yahoo.co.in

✘ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✘ वि-म ज्वर (मलेरिया)
✘ तमक श्वास (ब्रॉकियल अस्थमा)

11. प्रभारी सहायक निदेशक
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
1044 - जगनदा चौक :
के.डी.के.कॉलेज रोड, नंदनवन,
नागपुर - 440009
0712/2714230 (टैलीफैक्स)
ई.मेल rriingp@sancharnet.in

✘ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✘ व्यानबल वै-भ्य (हाइपरटेंशन)
✘ पंगु (पैराप्लेजिया)
✘ पक्षाघात (हेमिप्लेजिया)

12. प्रभारी सहायक निदेशक
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
गवर्नमेंट सेन्ट्रल फार्मसी एनेक्सी,
अशोक स्तम्भ (पिलर),

✘ अर्श (पाइल्स)
✘ मेनोद्वेग (एंग्जाइटी न्यूरोसिस)
✘ व्यानबल वै-भ्य (हाइपरटेंशन)
✘ तमक श्वास (ब्रॉकियल अस्थमा)

जयनगर, बंगलौर, 560011
080/26562030 (टैलीफैक्स)
ई.मेल rribengaluru@gmail.com

13. प्रभारी सहायक निदेशक
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) 2342070 (फेक्स)
पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम -59501
0471/2340628 (कार्यालय)
ई.मेल : rritvm1@yahoo.com

✂ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✂ किटिभ (सोरियासिस)
✂ मूत्राश्मरी (यूरिनरी कैल्कुली)

14. प्रभारी सहायक निदेशक
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम
कम्पलेक्स ए, प्रथम तल, नार्थ विंग
बिजयवाड़ा - 520010
0866/2472535 (टैलीफैक्स)
ई.मेल rribezawada@yahoo.com

✂ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✂ श्लीपद (फाइलेरियासिस)
✂ तमक श्वास (ब्रॉकियल अस्थमा)
✂ परिणामशूल (ड्यूडिनल अल्सर)

15. प्रभारी सहायक निदेशक
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (सिद्ध)
चेलापेरुमल स्ट्रीट
कुयावरपलायम
पांडिचेरी - 605006
0413/2245072 (टेलीफैक्स)
ई मेल: rrisiddha@yahoo.co.in

✘ वातशूलाई (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✘ वेनपदाई (विटिलिगो)
✘ नीरीजिवू (डायबिटीज मेलिटस)

16. प्रभारी अनुसंधान अधिकारी
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयु.)
डी - ब्लाक, राजेन्द्र मेमोरियल अनुसंधान
संस्थान भवन,
आगम कुंआ, पटना - 800007
0612/2631678 (टेलीफैक्स)
ई मेल: dirrmris@sancharnet.in

✘ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✘ विनमज्वर (मलेरिया)
✘ तमक श्वास (ब्रॉकियल अस्थमा)
✘ अर्श (पाइल्स)
✘ श्लीपद (फाइलेरियासिस)
✘ गृध्रसी (सियाटिका)

17. प्रभारी सहायक निदेशक
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयु.)
बरसोजाई (भेटपाड़ा)
गुवाहाटी (आसाम)
0361/2303714
ई मेल: rriuwahati@sancharnet.in

✘ मूत्राश्मरी (यूरिनरी कैल्कुली)

✘ मेदो रोग (लिपिड डिसार्डर)

18. प्रभारी अनुसंधान अधिकारी
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
तडुंग, गंगटोक, सिक्किम - 737102
03592/231494 (टेलीफैक्स)
ई मेल: rrigtk@yahoo.co.in

✘ ग्रहणी रोग (मालएब्जोर्प्शन सिंड्रोम)

✘ गृध्रसी (सियाटिका)

19. प्रभारी अनुसंधान अधिकारी
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) 211498
नया ईटानगर - 791111
(अरुणाचल प्रदेश)

✘ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
(कार्यालय) ✘ विनमज्वर (मलेरिया)
✘ ब्यानबल वै-नम्य (हाइपरटेंशन)
✘ मूत्राश्मरी (यूरिनरी कैल्कुली)
✘ गृध्रसी (सियाटिका)
✘ मधुमेह (डायबिटीज मेलिटस)

0360/212284 (टेलीफैक्स), 0360/212284 (टेलीफैक्स)
ई मेल: regionalso6@yahoo.com

20. प्रभारी अनुसंधान अधिकारी
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद)
20, रेवाड़ी चौक,
जम्मू - 180005

✘ आमवात (रियुमेटॉयड अर्थराइटिस)
✘ मूत्राश्मरी (यूरिनरी कैल्कुली)
✘ ब्यानबल वै-नम्य (हाइपरटेंशन)
✘ अर्श (पाइल्स)
✘ किटिभ (सोरियासिस)

24. निदेशक (संस्थान)
भारतीय आयुर्विज्ञान इतिहास संस्थान
उस्मानिया मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग
पुतलीबाउली हैदराबाद - 500095
040/24657348 (टेलीफैक्स), 24746523(फैक्स)
ई - मेल:-iihm_ccras@yahoo.co.in
hyd2_iihm @ sancharnet.in

- ✂ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विशेष-संदर्भ में चिकित्सा - ऐतिहासिक अनुसंधान
- ✂ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की विभिन्न प्रकार की पुरातत्वीय पुरालेखीय पांडुलिपियों आदि सामग्री स्रोतों का सर्वेक्षण, संग्रहण एवं संरक्षण
- ✂ रोगों तथा औ-धियों का उत्पत्ति संबंधी अध्ययन
 - ✂ वस्तुपरक तथा वैज्ञानिक चिकित्सा ऐतिहासिक अनुसंधानों का उपयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के इतिहास का पुर्नलेखन।
 - ✂ चिकित्सा शास्त्र के इतिहास पर आधारित
- ✂ भारतीय आयुर्विज्ञान इतिहास संस्थान पत्रिका का प्रकाशन
 - ✂ चयनित पांडुलिपियों का गहन अध्ययन और विवेचनात्मक अनुवाद।
- ✂ भारत में चिकित्सा शास्त्र के इतिहास के शिक्षण और प्रशिक्षण के उपकरणों साधनों का विकास करना।

25. निदेशक (संस्थान)
कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति आयुर्वेद औ-ध अनुसंधान संस्थान
ए.ए.गर्वनमेंट हॉस्पिटल कैम्पस
अरुम्बक्कम, चेन्नई - 600106
कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति आयुर्वेद
औ-ध अनुसंधान संस्थान

- ✂ औ-ध मानकीकरण
- ✂ पादप रसायन
- ✂ भे-जगुण विज्ञान
 - ✂ जैवरसायन
- ✂ सूक्ष्म जीवविज्ञान
 - ✂ प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना

044/26214823, 26207566

- ✂ भारतीय चिकित्सा पद्धति परियोजना

ई - मेल : csmndria@gmail.com

26. परियोजना अधिकारी
डॉ. ए. लक्ष्मीपति
आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र,
वी.एच.एस मेडिकल सेन्टर,
आड्यार, चेन्नई द्व 600113
,044/2541537
ई:- मेल: baruhunt@rediffmail.com

- ✂ मेदोरोग (लिपिड डिर्सार्डर)
- ✂ वि-मज्वर (मलेरिया).
- ✂ व्यानबल वै-म्य (हाइपरटेंशन)

27. प्रभारी सहायक निदेशक
आयुर्वेदिक अनुसंधान एकक,
निम्हांस, होसुर रोड,
बंगलौर - 1560029

ॐ अपस्मार (एपिलेप्सी)
ॐ मानसमंदता (मेंटल रिटार्डेशन)
ॐ मनोद्वेग (एग्जाइटी न्यूरोसिस)
ॐ उन्माद (सिजोफ्रेनिया)
ॐ ममस्वत्व (मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी)

080/26567546 (कार्या.), 26995243

ई:- मेल: arunimhans@yahoo.co.in

28. प्रभारी अनुसंधान अधिकारी
क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान(आयु.)
(जे एन ए एम पी जी एंड एच),
कोथूड, नेहरु गार्डन,
पुणे - 411038

ॐ औ-धीय पौंधो की कृनि
ॐ भे-ज अभिज्ञानीय अनुसंधान
ॐ पादप उक्तक संवर्धन

020-2583138, 020-25386715

ई:- मेल: jnampgh@pn2.vsnl.net.in

29.परियोजना अधिकारी,
चिकित्सा अनुसंधान एकक (सिद्ध)
एवं औ-धीय पादप सर्वेक्षण एकक (सिद्ध)
राजकीय सिद्ध मेडिकल कॉलेज,
पलायमकोट्टई - 627002
जिला - तिरुनेलवेली (तमिलनाडु)

ॐ कील वायु (अर्थराइटिस)
ॐ करप्पन (एग्जिमा)
ॐ मूलम (पाइल्स)
ॐ औ-धीय पादप सर्वेक्षण

0462/2572736, 2580845 (फैक्स), 2579841 (फैक्स)

ई:- मेल: dr_kangarajan@yahoo.co.in

30. प्रभारी अनुसंधान अधिकारी
आदिवासी स्वास्थ्य रक्षा अनुसंधान परियोजना,
कार निकोबार - 744301

ॐ आदिवासी स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम

03193/265211 (का.)

ई:- मेल: pl_bharti@yahoo.co.in

31. प्रभारी अनुसंधान अधिकारी
सोवा रिग्पा (आमची) अनुसंधान केंद्र,
लेह द्र 1941014
01982/252449 (का.)
ई:- मेल: drgurnet@rediffmail.com

✂ व्यानबल वै-म्य (हाइपरटेशन)

32. परियोजना अधिकारी,
चिकित्सा अनुसंधान एकक (आयु.)
आयुर्वेद शाला, कोट्टक्कल (केरल) 676503
0483/2746470, 0483/2742572 (फैक्स)

✂ परिणाम शूल (ड्यूडेनल अल्सर)

ई:- मेल: dr.gopansiddha@gmail.com

33. प्रभारी सहायक निदेशक
आयुर्वेदिक औ-नध अनुसंधान संस्थान
विंग संख्या 4/62 अहमदाबाद - 16
079/27471574
ई:- मेल: iadrah@bsnl.in
drjr51@yahoo.com

✂ गर्भनिरोधक औ-धियों अध्ययन

सहयोगात्मक अनुसंधान का विवरण

प्रारंभ से ही सीसीआरएएस, भा.चि.पद्धति/संस्थानों/चिकित्सालयों के माध्यम से तथा आधुनिक मैडिकल संस्थानों /चिकित्सालयों के सहयोग से अनुसंधान गतिविधियों का पालन कर रही है। आधुनिक संस्थान जैसे औद्योगिक विनाक्त अनुसंधान केन्द्र लखनऊ, केन्द्रीय औ-धि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, रा-ट्रीय पौ-टिक संस्थान, हैदराबाद, भारतीय रसायनिक प्रोद्योगिकी हैदराबाद, टी.एन. मैडिकल कॉलेज भे-जगुण विज्ञानीय एवं औ-धि अनुसंधान वि-नाक्तता अध्ययन, मुम्बई के साथ परि-द का सम्बन्ध है। ब्रोनकल अस्थमा पर नामी मैडिकल सेन्टर मॉस्को, रुस के साथ सहयोगात्मक नैदानिक अनुसंधान अध्ययन प्रगति में है। आधुनिक संस्थानों/चिकित्सालयों के माध्यम से कई बहुकेंद्रीक अध्ययन अन्य सहयोगी अनुसंधान परीक्षण अंतिम रूप में है। निम्नरूप से चल रही है:

क्र.सं.	सीसीआरएएस संस्थान	सहयोगी संस्थान	अनुसंधान क्षेत्र
1.	केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	टाटा कैंसर अनुसंधान संस्थान	कैंसर रोगी में जीवन गुणवत्ता का सुधार करना तीक्ष्ण मांयलिअड ल्यूकेमिया
2.	केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	ग्रॉंट मैडिकल कॉलेज एवं जेजे हॉस्पिटल, मुम्बई	एड्स/एचआईवी के रोगी के जीवन गुणवत्ता में सुधार
3.	केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	टी.एन.मैडिकल कॉलेज, मुम्बई	बुजुर्ग व्यक्तियोंके स्वास्थ्य में रसायन
4.	केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	केंद्रीय मत्स्य संस्थान, मुम्बई	औद्योगिक प्रदूषित पानी में मत्स्य का डिटोक्सीफाईंग पालन-पो-ण
5.	केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	रा-ट्रीय पुनउत्पादन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, (आईसीएमआर)	मेनोपाउसल साइनड्रोम
6.	क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, नागपुर	शासकीय मेडिकल	सिकल सेल

		कॉलेज एवं हॉस्पिटल, नागपुर	एनेमिआ
7.	केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	एससीबी मैडीकल कॉलेज, कटक	फिलेरिएसिस
8.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) नई दिल्ली	अ.भा.आ.अनु.संस्थान नई दिल्ली	आयु-56 औ-धि के साथ एपिलेप्सी का उपचार
9.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) नई दिल्ली	आईआईटी, नई दिल्ली	पंचकर्म उपस्कर का स्वचालित यंत्र
10.	अग्रिम आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र, बंगलूर	निमहान्स, बंगलूर	अपस्मार मानसमंदता मनोदवेग, कम्पवात ममसासहोस
11.	केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परि-द, नई दिल्ली	प्रतिरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना, ग्वालियर	रसायनिक युद्ध में रसायनिक प्रतिकूल प्रभाव के प्रयोग में तैयार की गई चयनित आयुर्वेदिक की भूमिका
12.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	अस्थि रोग विभाग किलपॉक मैडिकल कॉलेज, चेन्नई	अस्थि सौर्शीय
13.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	अन्ना पेरिफेरल अस्पताल किलपॉक मैडिकल कॉलेज से सम्बद्ध, चेन्नई	यकृत विकार
14.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	महिला एवं शिशुअस्पताल एगमोर, चेन्नई	रक्त प्रदर
15.	सीसीआरएएस, नई दिल्ली परिवार कल्याण विभाग द्वारा निधि प्रदत्त	निपेर (सीएसआईआर) मोहाली	मानकीकरण, स्वीकार्यता अवधि, स्थायित्व, जीव

			विज्ञानीय गतिविधि जीव उपलब्धता अध्ययन, पिप्पल्यादि योग कैप्सूल के एस्ट्रोजेन रिसेप्टर को परखना एवं महिला मुखीय गर्भनिरोधक
16.	सीसीआरएएस, नई दिल्ली परिवार कल्याण विभाग द्वारा निधि प्रदत्त	अ.भा.आयु.संस्थान, नई दिल्ली, पीजीआइ चंडीगढ़ केन अस्पताल, मुम्बई जिपमेर पुदुच्चेरी	पिप्पल्यादि योग कैप्सूल महिला गर्भ निरोधक (मुखीय) पर द्वितीय चरण का नैदानिक परीक्षण

चल रहे, कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान गतिविधियाँ-

पौष्टिकता अनुसंधान

- रा-ट्रीय अंटार्कटिका महासागर अनुसंधान केन्द्र, भारत सरकार, द्वारा आयोजित अंटार्कटिका अभियान में निश्चित आयुर्वेद रसायन खाद्य पूरक एवं पेय के प्रभाव पर अध्ययन का संचालन किया गया किया गया तथा इसके परिणाम इम्यूनोमोड्युलेटर एक्शन एन्टी ऑक्सीडेन्ट प्रभाव के अतिरिक्त शारीरिक एवं शरीर क्रिया मापक में सुधार के प्रबन्धों में उत्साहवर्द्धक रहा ।
- पस्-िन्द् ने आयु-न पानक नाम का जड़ी बूटीय पेय विकसित किया है जो कि क्षुधा की अपच्य कमी में एवं पाचन से संबंधित अन्य विकार रोग में लाभदायक है।
- अन्य धातु के पात्रों की तुलना में लौह पात्रों में तैयार भोजन का मूल्यांकन एवं हेमोग्लोबिन की प्रतिशतता में वृद्धि की क्षमता का अध्ययन से उत्साहवर्द्धक परिणाम देखनेमें आया।

कांतिवर्द्धक अनुसंधान

- पस्-िन्द् ने मेलास्मा में प्रयुक्त हेतु वर्णकता के रूप में "फेस पैक " विकसित किया है। औ-नधि की सुरक्षा अध्ययन पूर्ण हो चुकाहै तथा यह बाह्य के लिए नैदानिक रूप से सिद्ध है कि औ-नधि की वि-नाक्तता अध्ययन प्रगति में है।
- पस्-िन्द् द्वारा क्रेक प्रतिरोधी क्रीम भी विकसित किया गया है। तथा इसकी सुरक्षा एवं प्रभावकारिता अध्ययन प्रक्रियाधीन है।

जैवचिकित्सीय उपकरण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्लीके सहयोग से पंचकर्म चिकित्सा में प्रयुक्त स्वतःचालित उपकरण प्रगति में है।

परिवार कल्याण अनुसंधान

- परिवार कल्याण अनुसंधान के क्षेत्र में नैदानिक चिकित्सा एवं भेजगुण विज्ञानीय अध्ययन किए गए एवं परिणामस्वरूप पिप्पल्यादि योग मुखीय गर्भ निरोधक के रूप में तथा "नीम तैल" शुक्राणु अभिकर्ता के रूप में विकसित किया गया ।
- विनाक्तता अध्ययन, विरुपोत्पादी अध्ययन एवं पिप्पल्यादि योग के प्रथम चरण का अध्ययन पूर्ण हो चुका है तथा कोई विनाक्तता, विरुपोत्पादी एवं प्रतिकूल प्रभाव का प्रतिवेदन नहीं किया गया ।
- बहुकेन्द्रिक चरण-II , का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़. के ई आई अस्पताल मुम्बई तथा जिपमेर पुडुचेरी में आतुरीय परीक्षण प्रगति में है।

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम

- शिशुओं के सामान्य स्वास्थ्य के लिए परिन्द ने बाल रसायन तथा आयुन घुट्टी नाम के दो औषधियों को विकसित किया है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति के रा-ट्रीय प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिन्द के सहयोग से मुख्यधारा पर संभाव्य अध्ययन किया जा रहा है।

नवीन नैदानिक चिकित्सा कार्यक्रम परियोजना

क्र.सं.	रोगों के नाम
1.	वृद्धावस्था के लिए रसायन
2.	रजोनिवृत्ति जन्य लक्षण समुच्चय
3.	हृदरोग
4.	मूत्राशमरी
5.	मधुमेह
6.	आमवात
7.	वातज पांडुरोग
8.	व्यानबल वै-म्य
9.	अस्थि क्षय
10.	अनिमित्त रक्त प्रदर
11.	कामला
12.	अर्धावभेदक
13.	शु-काक्षिपाक/परिसुखनेत्र
14.	लिंगनास
15.	अभि-यन्द
16.	तमक श्वास
17.	गम्भीर शिरा रक्त स्कन्ध
18.	श्लीपद
19.	वि-म ज्वर
20.	कम्पवात
21.	अतिसार/प्रवाहिका
22.	अपस्मार
23.	चित्तोद्वेग
24.	पक्षाघात
25.	मानस मंदता
26.	मांस-शो-न

27.	व्यसन
28.	भगन्दर
29.	कैंसर रोगियों में जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्थक चिकित्सा
30.	एच आई वी/एड्स रोगियों में जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्थक चिकित्सा

पेटेंट प्रौद्योगिकी विकास एवं स्थानांतरण

अनुसंधान के माध्यम से उपचार एवं प्रौद्योगिकी का विकास पूरा हो गया है और व्यावसाय के लिए पेटेंट कर लिया गया है। नवीन योगो एवं प्रौद्योगिकी का पेटेंट एवं व्यवसाय के लिए रा-ट्रीय अनुसंधान विकास निगम नई दिल्ली के साथ हस्ताक्षर हुआ है:

क.	प्राप्त पेटेंटों की संख्या	19
ख.	भरे गए पेटेंट	12

केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परि-दों द्वारा प्राप्त पेटेंट

पेटेंट योग

- आयु-न - 64- मलेरया प्रतिरोधी कृति
(पेटेंट संख्या 152863 दिनांक 28/7/1980)
- आयु-न - 56- अपस्मार प्रतिरोधी कृति
(पेटेंट संख्या 141170 दिनांक 28/7/1976)
- 777 तेल सोरायसिस के लिए औ-धीय तैल
(पेटेंट सं. 166740 दिनांक 11/9/1987)
- क्षारसूत्र- गुद मंलाशायक रोग के लिए औ-धीय सूत्र
(पेटेंट सं. 186243 दिनांक 15/2/2002)

भरे हुए पेटेंट

- आयु-न घुट्टी- कफ, ठंढ़क, बुखार हेतु तथा अतिसार शिशु के लिए एक वानस्पतिक खनिज कृति
- बाल रसायन- बच्चों में सामान्य प्रतिरोध क्षमता एवं शरीर में कार्यक्षमता तथा उसके प्रक्रिया के लिए एक वानस्पतिक खनिजनिरूपण
- पर्ण संजनन के माध्यम से सेलाट्रस पनिकुलाटस विल्ड का परखनलीय प्रसारण के लिए एक नूतन प्रौद्योगिकी ।

- कोटीलेडन कल्चर केमाध्यम से सेलाट्रस पनिकुलाटस विल्ड का परखनलीय प्रसारण के लिए एक नूतन प्रौद्योगिकी ।
- स्वेटिआ चिराता बुच से नूतन समिश्रण कृति के लिए एक प्रक्रिया । यह कारसिनोजेनिक प्रतिरोधी एवं ट्यूमर प्रतिरोधी है। पेटेन्ट आवेदन संख्या 168/सीएएल/02/दिनांक 26/3/2002
- एमोरोजेनटिन का अलगाव, नोवल सेको आईरिडॉइड अधिकार अरकरसिनोजेनिक एवं ट्यूमर प्रतिरोधी क्रिया के लिए प्रक्रिया। पेटेन्ट आवेदन सं. 169/सीएएल/02 दिनांक 26/3/2002
- कारसिनोजेनिक प्रतिरोधी के साथ पादप स्रोत से एक नूतन कैंसर प्रतिरोधी समिश्रण एक एन्टी ट्यूमर क्रिया। पेटेन्ट आवेदन सं. 167/सीएएल/02 दिनांक 26/3/2002
- एक नूतन कैंसर प्रतिरोधी मिश्रण एमारोजेनटिन, एन्टी कारसिनोजेनिक एवं एन्टी ट्यूमर क्रिया के साथ सेको आईरिडॉइड ग्लाइकोसाइड । पेटेन्ट आवेदन सं. 166/सीएएल/2002 दिनांक 26/3/2002
- असपारगस एडसेनडेन्स रॉक्स के बीज अंकुरण की दर में वृद्धि हेतु प्रौद्योगिकी में सुधार।
- असपारगस एडसेनडेन्स रॉक्स के कली से बहुबीजक निर्माण के लिए मेडिआ संजनन समिश्रण लाभदायक ।
- अंटार्कटिक जैसे अत्यधिक शीतो-ण स्थिति में बलाघात से उत्पन्न साइनड्रोम के लिए एक जड़ी बुटी कृति ।

पेटेन्ट प्रक्रिया

- पेटेन्ट संख्या 138350/26/9/73 - नेरिडम इंडिकममिल सेलेक्टोनिक ग्लाइकोसाइड के उत्पादन के लिए प्रक्रिया ।
- पेटेन्ट सं. 139868/4/4/74 मेसुआ फेरसा लिन्न.बीज से ब्रोनिकल अस्थमा के उपचार में लाभदायक घनसत्व उत्पादन के लिए प्रक्रिया ।
- पेटेन्ट सं. 140032/4/4/74- कसिआ सिआमिआ के फली से प्राकृतिक सोडियम साल्ट - 2 मेथाइल वर्णता के उत्पादन के लिए प्रक्रिया ।
- पेटेन्ट सं. 140321/4/4/74 पोंगमिआ पिन्नाटा से पोंगफलेवोन के अलगाव के लिए प्रक्रिया ।

- पेटेन्ट सं. 140367/ 4/4/74 - डाइमेनथाइलक्रोमेन मेथोऑक्साइड 9 हाइड्रोऑक्साइड 10 वायवाय , डीमेथाइलाइल पेटेरोकरण के 2.3 आईसोलेशन के लिए प्रक्रिया से गंगेटिकम रूप मे ख्याति डेसमोडियम गंगेटिकम के मूल ।
- पेटेन्ट संख्या 139869/ 4/4/974 कोजिक एसिडेन्ड केटेकहोल से बेनजोफुरनडिराइवेटिव उत्पादन के लिए प्रक्रिया ।
- पेटेंट सं. 140381/ 4/4/74 सोलानम ट्रिलोबेटम के पर्ण से टोमेटिड -5 एन- 3 पी- ओएल के अलगाव के लिए प्रक्रिया ।
- पेटेंट संख्या 140382/ 10/5/74 सोइमिडा फेब्रिफुगा, बार्क से मेथाइलेनगोलेनस्टेट एवं डीऑक्सीएन्डीरोबिन के अलगाव के लिए प्रक्रिया-
- पेटेंट सं. 140384/ 10/5/74 इनटाडा स्केनडेन्सबेन्थ के करनेल्स बीज से इनटेनिन नामक नवीन ट्रिटरपेनाइड ग्लाइकोसाइड के आइसोलेशन उत्पादन के लिए प्रक्रिया ।
- पेटेन्ट सं. 145858/ 11/5/79 एक्यूलेरिआ अगल्लोचा के हर्टवूड से लिरिओडेनिन, 7-ओएक्सओ एपोर फाईन के अलगाव के लिए प्रक्रिया ।
- पेटेन्ट सं. 197936 14/8/78 स्टीरिओ परममेटेद्रा गोनून. डी सी के मूल से लेपचोल के रूप ज्ञात 2-हाइड्रोऑक्साइड -3 (3 मेथाइल बटेनलि) 1-4 नेपथेक्यूनन के अलगाव के लिए प्रक्रिया ।
- पेटेंट सं. 140367/ 14/ 8/78 - लिओनोटिस नेपेटेफो लिआ लिन्न के सम्पूर्ण पादप से नेपेटेफोलिनोल के रूप में ज्ञात 9, 13 - एपोक्सी - 6 बी - हाइड्रोक्सी - 8 ए लैबडना 16, 15, 19, 2 - डाइलेक्टोन के प्रीपेरेटिन के लिए एक प्रक्रिया ।
- पेटेंट सं. 150019/ 21/6/79 विनका सोसिआ से अलगाव के लिए प्रक्रिया ।
- पेटेंट सं. 545/ डीइएल/ 84 - सिरॉसिस प्रबन्धन के लिए निम्बतिक्तम ।

संयुक्त रूप से भरे गए पेटेन्ट

नवजीवन का संसाधन - (तीक्ष्ण प्रो. माइलोसाइटिक ल्यूकेमिआ के लिए)

भारतीय पेटेन्ट आवेदन सं.

- 99032 (पीसीटी)/2002

दिनांक 3/2/2001

यूएस पेटेन्ट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय आवेदन सं.

- 1-/070,540

भरे गए संख्या

- पीसी 7/आईएन 99/0042

दिनांक 7/9/99

यूरोपिअन आवेदन सं.

- 99961271, 6-2107

केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् का संगठनात्मक स्वरूप

सीसीआरएएस सोसायटी

शासी निकाय

अध्यक्ष

वैज्ञानिक परामर्श दात्री
समिति (आयुर्वेद)

स्थायी वित्त
समिति

वैज्ञानिक परामर्श
दात्री समिति(सिद्ध)

महानिदेशक

तकनीकी अनुभाग

प्रशासनिक एवं स्थापना

अनुभाग

आयुर्वेद एवं सिद्ध

उप निदेशक (प्रशासन)

उप निदेशक (तकनीकी)

सहायक निदेशक (समन्वय)

लेखा अनुभाग

कार्यक्रम कार्यान्वयन

प्रशासनिक अधिकारी
(प्रशासन एवं बजट)

प्रशासनिक अधिकारी
(स्था. एवं सतर्कता)

लेखा अधिकारी

बिल

लेखा नगद

अंतरिम

लेखा

बजट प्रशासन अभिलेख

स्थापना,

सतर्कता,

अनु.जाति,

जनजाति

प्रको-ठ

सहा.निदे. (आयु.)	सहा.निदे. (आयु.) साहित्यकी अनुसंधान	सहा.निदे. (आयु.) परिवार कल्याण अनुसंधान	सहा.निदे. (आयु.) औ-धि अनुसंधान	सहा.निदे. (सिद्ध. भे-नज अभि. भे-नज अभिज्ञानीय चिकित्सा वानस्पतिक सर्वेक्षण, कृ-निकरण	सहा.निदे. भे-नज अभि. भे-नज गुण विज्ञान वि-नाक्तता	सांख्यिकी अधिकारी विज्ञानीय	सहा.निदे. (प्रलेख) पुस्तकालय प्रकाशन प्रलेखन, विंग, ग्राफी
						सांख्यिकी	संगणक अनुभाग

मैनुअल-2

अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

(धारा 4 (1) (बी) (II))

केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परि-द् का नेतृत्व निदेशक द्वारा किया जाता है।

इस कार्य में उनको उप निदेशक (तक.) एवं उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा सहायता की जाती है। इसके अतिरिक्त लेखाधिकारी हैं जो लेखा एवं वित्त के कार्य को देखते हैं। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परि-द् के निदेशक, उप निदेशक (प्रशासन) एवं संस्थान के प्रभारियों के कार्य/ अधिकार निम्नलिखित रूप से हैं-

महानिदेशक के अधिकार एवं कार्य

50. महानिदेशक, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परि-द् के मुख्य कार्यकारी हैं तथा नीतियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं। परि-द् के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए योजना बनाते हैं तथा नि-पादन करते हैं। महानिदेशक सामान्यतः बिना पक्षपात के पूर्ववर्ती व्यवस्था के लिए इस प्रकार के शक्ति प्रयोग करते हैं एवं उप नियम के अनुसूची-1 में विनिर्दि-ट एवं अधोलिखित कार्यों का नि-पादन करते हैं-

क) वह केंद्रीय परि-द् के आवश्यकतानुरूप समुचित संचालन के लिए साधारण वर्तमान प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कार्य करेंगे।

ख) वह केन्द्रीय परि-द् के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यों का आबंटन करेंगे तथा निरीक्षण करेंगे एवं जैसा भी आवश्यक होगा नियम एवं विनियमन के शर्त के साथ कार्यकारी नियंत्रण करेंगे।

ग) सभी पत्राचार उनके हस्ताक्षर से या उनकी ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा होंगे।

घ) वह शासी निकाय द्वारा नियुक्त सभी समिति में पदेन सदस्य होंगे तथा सभी या किसी समिति में अपनी विवेक से उपस्थित हो सकते हैं।

ड) वह शासी निकाय या अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

- च) महानिदेशक, शासी निकाय की ओर से सभी करारों, ठेका आदि पर हस्ताक्षर एवं नि-पादन करेंगे। परि-न्द् के व्यवसाय के समुचित संचालन के लिए जो आवश्यक होगा वह करेंगे। सभी प्रकार के ठेके का मसौदा रुपये 50,000/- से अधिक भारत सरकार के सालिसिटर को या कानून मंत्रालय में इस वि-नय को जो अधिकारी देख रहे हैं उनकी सलाह के लिए उनको फार्म की शुद्धता के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।
- छ) हस्ताक्षर एवं सत्यापन पर अर्जीदावा, लिखित प्रलेख,विवरण, शपथ पत्र, आवेदन एवं तालिकाबद्ध विवरण तथा संस्थान या प्रतिरक्षा निवेदन, कार्यवाही एवं अन्य विधिक कार्यवाही पर केंद्रीय परि-न्द् /शासीनिकाय की ओर से वह हस्ताक्षर करेंगे ।
- ज) उन्हें अधिकार है कि केंद्रीय परि-न्द् से संबंधित किसी मामले में सक्षम विधिक सलाह लेने के पश्चात समझौता, समाधान या किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज सकते हैं।
- झ) उप नियम के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची-॥ एवं ॥॥ में महानिदेशक को दिए गए शक्तियों के अनुसार निदेशक अधिरोपित करने के लिए उपयुक्त समझते हैं, तो वह उप निदेशक (प्रशासन)/लेखाधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी जैसा भी मामले हों प्रतिबंधित करने हेतु शक्ति प्रयोग कर सकते हैं।
- ट) प्रतिबंधित शर्त के साथ महानिदेशक जैसा उपयुक्त समझते हों वह उप- नियम में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए परियोजना अधिकारी को अधिरोपित करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं ।
- ठ) आहरण या संवितरण अधिकारी या समूह क या ख के अन्य कोई अधिकारी को महानिदेशक अधिकृत कर सकते हैं । विविध प्रकार के आकस्मिक व्यय स्वीकृति हेतु जोकि प्रत्येक मामले में रुपये 500/- से अधिक नहीं हो, स्वीकृति करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।
- ड) वह कोई भी दान, नगद या वस्तु में स्वीकार करेंगे, यह किसी भी स्थिति में अकेला असंगत है या स्वभाववश एवं जिस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय परि-न्द् की स्थापना हुई है, उसके विरोध में नहीं है। प्राप्तदान या वस्तु का उपयोग उस उद्देश्य के लिए होना चाहिए वह जिस उद्देश्य के लिए वह प्राप्त किया गया है तथा इस वि-नय को शासी निकाय की आगामी बैठक में रखना चाहिए ।

अनुसूची -I
महानिदेशक में निहित अनुसूची की शक्ति
(नियम - 50)

क्र.सं.	शक्ति	विस्तार
1.	केंद्रीय परि-न्द् के कर्मचारियों को मंत्रालय सेवक घो-नित करना	पूर्ण अधिकार
2.	नियुक्ति से पूर्व (व्यक्तिगत मामले में) स्वस्थ्यता का चिकित्सा प्रमाण पत्र अलग करना ।	पूर्ण अधिकार
3.	धारणाधिकार को बर्खास्त करना	पूर्ण अधिकार वशर्ते वह विचाराधीन पदों की नियुक्ति के लिए अधिकृत हों ।
4.	धारणाधिकार का स्थानांतरण करना ।	पूर्ण अधिकार, वशर्ते वह संबंधित दोनों पदों की नियुक्ति हेतु अधिकृत हों।
5.	कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण करना ।	पूर्ण अधिकार
6.	कर्मचारी को द्वय प्रभार के लिए नियुक्त करना एवं पारिश्रमिक सुनिश्चित करना ।	पूर्ण अधिकार, वशर्ते उन्हें प्रत्येक पदों में नियुक्ति का अधिकार हो ।
7.	अनुदान स्वीकृत करना या मानदेय स्वीकृत करना ।	प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक रुपये 2500/- प्राधिकारी: शासी निकाय की 14वीं बैठक जोकि 27.1.2000 को सम्पन्न हुई थी।
8.	परि-न्द् के तकनीकी/शोध कर्मचारियों के लिए विहित 60 वर्- एवं अपवाद स्वरुप 62 वर्- सेवा के पश्चात् प्रतिधारित करना ।	पूर्ण अधिकार, वशर्ते कि जिस पद में वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं उसमें एक समय एक वर्- के लिए सीमा विस्तार कर सकते हैं।

9.	निजी कार्य एवं शुल्क स्वीकार करने के लिए अनुमति प्रदान करना ।	पूर्ण अधिकार, निजी कार्य हेतु वचनपत्र को अनुमति देना एवं सीसीआरएएस द्वारा शुल्क स्वीकार करना प्राधिकारी: शासी निकाय की 17वीं बैठक जो कि 13/12/2003 को सम्पन्न हुई।
10.	कम दूरी के दो या अधिक मार्ग का निर्धारण करना।	पूर्ण अधिकार, यात्रा के लिए उसके न्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ।
11.	कमदूरी के अतिरिक्त मार्ग के लिए मील भत्ता हेतु अनुमति देना।	पूर्ण अधिकार, वशर्ते मार्ग का चयन केन्द्रीय परिन्द के हित में हो ।
12.	कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र की सीमा को परिभाषित करना ।	पूर्ण अधिकार
13.	निर्णय करना कि क्या कोई खास अनुपस्थिति, अनुपस्थिति है या ड्यूटी।	पूर्ण अधिकार
14.	किसी कर्मचारी को भारत के किसी भू भाग में ड्यूटी के लिए प्रस्थान करना ।	पूर्ण अधिकार
15.	यात्रावधि एवं निरन्तर यात्रा को प्रतिबंधित करना ।	पूर्ण अधिकार
16.	कार्मिकों को (गैर-पात्र अधिकारी/ गैर कार्मिकों को) वायुयान यात्रा के लिए अनुमति प्रदान करना ।	समूह क अधिकारियों के मामले में पूर्ण अधिकार
17.	अप्रयुक्त वायु/रेल टिकट रद्द करने के प्रभार का भुगतान करना ।	पूर्ण अधिकार, परिन्द के हित में रद्द किया गया हो
18.	रेल से सम्बन्ध स्टेशन के बीच सड़क मार्ग द्वारा वैयक्तिक ढुलाई हेतु वास्तविक व्यय के लिए अनुमति प्रदान करना ।	पूर्ण अधिकार
19.	राजपत्रित अधिकारी समूह (क एवं ख) को कार्यालय का प्रधान शक्ति मुख्य रूप से बिल	पूर्ण अधिकार

	एवं चेक पर हस्ताक्षर करना, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र	
--	---	--

	आकस्मिक पंजिका में हस्ताक्षर हेतु अधिकृत कर सकता है। वह निश्चित मामले में किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को सहायता करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकते हैं।	
20.	टी.ए.बिल पेशगी पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अधिकारी को अनुमति प्रदान करने के अधिकार हैं इसके लिए उस अधिकारी को स्थायी टी.ए. पेशगी की स्वीकृति दे सकते हैं।	पूर्ण अधिकार
21.	वह यह भी निर्णय कर सकते हैं कि नियंत्रण अधिकारी कौन होगा तथा उसके मार्ग दर्शन के लिए नियम बना सकते हैं।	पूर्ण अधिकार, वशर्ते कि कोई कर्मचारी नियंत्रण अधिकारी घोषित नहीं हो ।
22.	स्टोर, टूल्स, प्लान्ट्स आदि क्रय करना	इस उद्देश्य के लिए बजट प्रबन्ध की सीमा तक
23.	बजट सीमा के अन्दर अनावर्ती आकस्मिक प्रभार स्वीकृति करने का अधिकार ।	इस उद्देश्य के लिए बजट प्रबन्ध की सीमा के अन्तर्गत ।
24.	स्थायी पेशगी स्वीकृति करने का अधिकार	पूर्ण अधिकार
25.	नगर एवं छावनी कर स्वीकृति करने का अधिकार	पूर्ण अधिकार
26.	सरकारी एवं गैर सरकारी प्रकाशन उनके द्वारा या उनके अन्दर नियन्त्रण के अधिकारी द्वारा माँगपर बजट सीमा में क्रय करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार

27.	सामान्य कार्यालय आवास किराया की स्वीकृति देने का अधिकार ।	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता में रुपये 1.00 लाख प्रति वर्ग एवं केन्द्रीय लोक निर्माण अन्य स्थानों के लिए प्रतिमाह रुपये5,000/-
28.	भवन का रख रखाव एवं गौण की मरम्मत एवं किराये का एकान्तरण एवं अधिग्रहण भवन का कार्य करना टिप्पणी- इस प्रकार के खर्च केवल भूमि स्वामी द्वारा अस्वीकृत करने पर ही अपने ऊपर लिया जा सकता है।	निधि उपलब्धता की शर्त के साथ रु. 5.00लाख लो.नि.वि. के लोनिवि/तक सरकारी एजेन्सी के माध्यम से परिन्द भवन के लिए

29.	आकस्मिक स्वरूप के सुनिश्चित आवर्ती प्रभार को स्वीकृत करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार
30.	दूरभा-न किराया स्वीकृति करने का अधिकार	पूर्ण अधिकार
31.	स्थानांतरण के अन्तर्गत अधिकारी को वेतन पेशगी स्वीकृत करने का अधिकार	पूर्ण अधिकार
32.	स्वयं के पक्ष में तथा कर्मचारी के पक्ष में यात्रा भत्ता पेशगी प्रदान करने का अधिकार	पूर्ण अधिकार
33.	समय समय पर संशोधित सरकारी नियम के अनुसार अंशदान/सामान्य भवि-य निधि पेशगी एवं अंतिम निकाशी हेतु स्वीकृति देने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार
34.	समय- समय पर संशोधित सरकारी नियम के अनुसार पर्व पेशगी स्वीकृत करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार
35.	समय- समय पर संशोधित सरकारी नियम के अनुसार सवारीवाहन क्रय हेतु पेशगी स्वीकृत करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार
36.	समय- समय पर संशोधित सरकारी नियम के अनुसार जिस याचिका में परि-न्द् पक्षकार है उस पर खर्च उठाने के लिए पेशगी स्वीकृत करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार
37.	पेशगियों के पुनर्भुगतान के नियम में परिवर्तित करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार
38.	असंवितरित वेतन एवं भत्ते प्रतिधारण आदेश का अधिकार ।	तीन महीने तक
39.	समय- समय पर संशोधित सरकारी नियम के अनुसार शिशु शिक्षा यात्रा, एवं शिक्षण शुल्क भुगतान स्वीकृत करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार
40.	समय- समय पर संशोधित सरकारी नियम के अनुसार कर्मचारी के स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों के पक्ष में मेडिकल व्यय भुगतान स्वीकृत करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार

41	टंकण मशीन क्रय स्वीकृत करने का अधिकार ।	पूर्ण अधिकार
42.	स्टोर के अप्राप्य मूल्य, मुद्रा, पेशगियां आदि के सम्बंध में अधिकार वशर्ते (1) चोरी के कारण क्षति नहीं हुआ हो । (II) यह एडइफैक्ट सिस्टम को प्रकट नहीं करता हो या कुछ वैयक्तिक सेवक के भाग पर गम्भीर उपेक्षा पूर्ण का आरोप हो या केन्द्रीय परि-द् के सेवक को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उच्च प्राधिकारी से पुनः/पूछताछ आदेश के लिए कहा गया हो ।	चोरी धोखाधड़ी या उपेक्षापूर्ण के कारण स्टोर का रुपये 25.000/- क्षति के लिए एवं रुपये 5000/- अन्य मामलों जैसे चोरी के कारण, धोखाधड़ी या उपेक्षा के कारण । प्राधिकारी: 14वीं बैठक शासी निकाय जो कि 27/1/2000 को सम्पन्न हुई थी ।
43.	अभिलेख न-ट करने हेतु आदेश देने का अधिकार	पूर्ण अधिकार
44.	केंद्रीय परि-द् के हित में सेवारहित स्टोर या बिगडने वाला सामग्री या नीलामी द्वारा बिक्री हेतु आदेश देना।	पूर्ण अधिकार
45.	अपने विवेक से आगन्तुक, उच्चाधिकारियों या सार्वजनिक निकाय को उपहार देने का अधिकार ।	प्रत्येक मामले में रुपये 1000/- तक, प्राधिकारी: 14वीं बैठक शासी निकाय दिनांक 27/1/2000

46.	Power to countersign his own travelling allowance bills.	Full powers.
47.	Power to grant all kinds of leave including study leave, special disability leave to staff of the Central Council as per C.C.S. Leave Rules.	Full powers.
48.	Power to make appointments substantively or temporarily and to grant upto five advance increments in respect of posts the maximum of the scale of pay of which is Rs. 13,500/- (revised) and below on the basis of the recommendations of the Selection Committee	Full powers.
49.	Power to appoint part time workers and fix their remuneration on consolidated basis	Full in respect of part time workers not exceeding Rs.3000/- p.m. provided it should not lead to increase in staff strength in the form of part-time or casual or daily wage worker. Authority: 17 th meeting of GB held on 13-12-2003.
50.	Power to employ outsiders in an officiating capacity in vacancies caused by the grant of leave to or officiating promotion to Group A and B posts of incumbents of Group C and D posts for which there is no leave reserve.	Full power in respect of posts to which he is the appointing authority
51.	Power to create posts in Group C and D. Group B posts	Full powers Upto 2 years.
52.	Printing and binding	Full powers subject to codal formalities.
53.	Power to incur expenditure on miscellaneous items	Full powers.
54.	Power to purchase equipments/instruments etc./taking up short term projects of research studies etc.	Upto Rs.10.00 lakhs subject to availability of funds and following procedural requirements and responsibility for ensuring productive expenditure Authority: Approved by the President of GB on the recommendation of 50 th meeting of SFC held on 27-1-2006 vide letter No.

		V.27020/41/2005-Ay. Desk dated 27 th February, 2006
55.	Power to purchase of medicines, chemicals, raw drugs etc.	Full power subject to following codal formalities and availability of budget Authority: 14 th meeting of GB held on 27-1-2000.
56.	Power to purchase office equipments like computer, fax, photocopier, franking machine, gestetner machings etc.	Upto Rs.2.00 lakhs subject to purchase being made through DGS&D rate contract, otherwise upto Rs.75,000/- Authority: 17 th meeting of GB of CCRAS held on 13-12-2003.
57.	Power to sanction House Building Advances to Council's employees	Full powers as per House Building Advance Rules issued by Govt. of India from time to time. Authority: 14 th meeting of GB of CCRAS held on
58.	Power to incur expenditure on drug standardization and testing through outside Govt.Autonomous/DST approved Research & Academic Institutions under drug development programme.	Full subject to the ceiling of the budget allocation. Approval of the President of the GB vide letter No. V.27020/41/2005-Ay. Desk dated 6 th December, 2005.

Delegation of Financial and Administrative Powers to Dy.Director (Admn.) &

Subordinate Institutes/Centres/Units of the CCRAS Hqrs.Office

S.No.	Items/Powers	Extent of Powers delegated		Remarks
		Dy.Director (Admn.)	In-charges	
1.	To Transfer an employee from one section to another	Full	Full	After discussion with Director
2.	All kinds of leave except study leave	Upto Assistant Directors	Full, in respect of an employee working under him	
3.	Power to sanction taxes/surcharges, renewal of insurances, postal, telegraphic, water, electricity, tepehone	Full	Full, subject to budget provision	
4.	Reimbursement of local conveyance in respect of employees working under them.	Rs.150/- p.m.	Rs.150/- p.m., per person.	
5.	Power to incur expenditure on non-recurring items	Rs.10,000/-	Rs.10,000/- in respect of CRIs and Rs.5,000/- in respect of other Units	
6.	To incur expenditure on recurring, contingency like petrol, diet, stationary, postage etc.	Full	Full	
7.	Purchase of books, publication, periodicals, journals.	Full, on the recommendations of D.D.(T)/ Programme Officer	Full, except involving foreign currency.	
8.	Power to sanction temporary advances, from the imprest.	Full	Full	Not more than one advance is sanctioned to an individual, till the adjustment is submitted.

9.	Power to sanction rents, calls, phonograph, where telephone connections are sanctioned by the Council	Full	Full	As regards the residential telephone facility, the reimbursement is limited upto 650 calls bi-monthly, including free calls.
10.	Power to sanction expenditure on electricity and water charges.	Full	Full	

11.	To sanction repair charges of vehicles, equipments, tools, stores etc.	Upto Rs.5000/-	Upto Rs.5000/-	
12.	Purchase and supply of uniform for eligible staff.	Full in respect of employees working at Hqrs.Office	Full in respect of employees working under them	
13.	Power to sanction advance, pay, leave salary, TA/DA to the employees transferred by the Hqrs. Office.	Full	N.A.	
14.	Power to sanction all kinds of tours within the State	Full	Full, except in the case of Director In-charge	
15.	a) Power to sanction advances of pay/TA/DA to the employees in whose case transfer orders have been issued by Hqrs.Office. b) Advance of leave salary as per rules.	Full	Full – provided the advance is sanctioned as per rules Full	
16.	Power to counter sign and pass the TA bills of approved tour.	Full	Full in respect of tours of Urban State	
17.	To sanction the write off of irrecoverable stores etc. provided that (i) the loss is not due to theft and (ii) it does not disclose a defect of system or serious negligence on the part of some individual employees of the Central Council, which might possibly call for disciplinary action and to sanction write off and sell by auction or otherwise, in the interest of the Council, unserviceable stores. The amount of sale proceeds shall be credited to the Hqrs. Office of the Central Council.	Upto Rs.5000/-.	Upto Rs.5000/- in r/o CRIS and Rs.3000/- in r/o RRI/RRCs and other major Institutes in each case (Note: each case means each occasion not each article). The case of theft, negligence on the part of individual including cases involving relaxation will continue to be referred to the Council.	
18.	To order closure of the office on the basis of ad-hoc decision of the Central Govt. or respective State Govt.	N.A.	Full	

19.	Power to sanction festival advance to entitled staff.	Full in respect of employees working at Hqrs.Office	Full in respect of employees working under them	
20.	Power to reimburse medical examination fee on first appointment as per scales laid down.	Full	Full	
21.	Power to maintain Service Book and Leave Account.	Full, except DD(A)	Full except Incharge	
22.	Power to sanction LTC and LTC advance in r/o staff working under them except head of Institute/Centre.	Full in respect of employees working at Hqrs.Office	Full in respect of employees working under them	
23.	Power to sanction cycle/fan advance to staff.	Full	One case in a year.	
24.	Acceptance of Home Town declaration.	Full	Full in respect of employees working under them	
25.	Issue of Identity Card to group A, B, C & D staff as per instructions regarding issue of identity card and conditions of issue as may be communicated by Hqrs. from time to time.	Full	Full in respect of employees working under them	
26.	Power to sanction special increment for promoting small family norms in respect of all group working under him.	Full	Full subject to observance of Rules	
27.	Power to accept examiner-ship and also to act as paper setter to evaluate answer papers assigned by the Universities.	Not applicable	Full in respect of employees working under them	
28.	Power to reimburse tuition fee/CEA in respect of employees working under him.	Full	Full in respect of employees working under them	
29.	Power to purchase prepared medicines from IMPCL and IMPCOPS only.	Upto Rs.50,000/- on the recommendation of Dy.Director (Tech)/Programme Officer	Upto Rs.25,000/- in case of CRIs and Rs.15,000/- in case of other Units.	
30.	Power to sanction medical reimbursement claim in respect of officers and staff working at Institutes/Centres/Units.	Upto the limit of Rs.10,000/- in each case	Upto the limit of Rs.500/- in each case in a year.	
31.	Power to purchase raw drugs for	Upto Rs.50,000/- on	Rs.20,000/- in case of	

	preparation of medicine including trial drugs for use in hospital as well as for supply to other projects of the CCRAS.	the recommendation of Dy. Director (Tech.)	CRIs and Rs.15,000/- in case of other units.	
32.	Power to sanction annual maintenance contract charges in respect of typewriters, computers, fax, photocopier, duplicating machine.	Full	Upto Rs.5,000/- in each case with reference to the budget provision.	
33.	Power to forward applications for outside employment in respect of staff working under them.	Full in respect of non-technical employees	Full in respect of employees working under them under intimation to Hqrs. Office.	

34.	Power to sanction stagnation increment in respect of staff working under them.	Full	Full in respect of employees working under them	
35.	Power to grant ACP/Promotion to group C & D employees working under them.	Not Applicable	Full in respect of Group C and D employees of maximum scale of pay of Rs.5000-8000.	
36.	Power to fill up the vacancies in r/o group C & D arisen due to death/retirement and resignation.	Not Applicable	Full in respect of Group C & D.	
37.	Detention of Group C and D staff on Hqrs. Office/Institutes beyond normal office hours on working days and holidays and payment of Conveyance allowance as per rules.	Full	Full in respect of employees working under them.	
38.	Power to sanction GPF/CPF advance/withdrawals	Full	Not applicable	
39.	Power to sanction cash handling allowance	Full as per rules	Not applicable	
40.	Permission for purchase of movable/immovable properties under CCS (Conduct) Rules	Full upto the level of Assistant Director	Full in respect of employees working under them.	
41.	NOC for Indian Passport.	Full in respect of employees	Full in respect of employees working	

		working at Hqrs.Office.	under them.	
42	To grant permission for attending of Seminars to the Scientists/Research Officers	Not applicable	Two occasions in a year and not more than 2 Scientists at a time.	

NB: With regard to Item No.36, the In-charges should got recommendations of Selection/ Promotion Committee from Council's Hqrs.Office before issuing offer of appointment.

Manual 3

Procedures followed in decision making process

[Section 4 (1)(b) (iii)]

In accordance with para 150 of Manual of Office Procedure and also in accordance with the Bye-laws of the Council, all the cases are dealt with in the Council.

Manual 4

Norms set for discharge of functions

[Section 4 (1)(b)(iv)]

As per the Bye-laws of the Council proposals are implemented after obtaining approval of the competent authorities.

Manual 5

Rules, Regulations, Instructions, manuals and records for discharging functions

[Section 4 (1)(b)(v)]

1. Manual of Office Procedure.
2. Fundamental Rules and Supplementary Rules (FR & SR)
3. CCS (Classification, Control and Appeal) Rules 1965
4. CCS (Conduct) Rules 1964
5. General Financial Rules (GFR)
6. Delegation of Financial Power Rules
7. CCRAS (Pension) Rules in line with CCS (Pension) Rules
8. Central Services (Medical Attendance) Rules
9. Central Civil Services Leave Rules
10. Central Civil Services Leave Travel Concession Rules
11. Central Vigilance Commission (CVC) Manual

Manual 8

(A statement of Boards, Council, Committees and other bodies constituted)

[Section 4 (1)(b)(viii)]

1. **Scientific Advisory Committee for Ayurveda**
2. **Scientific Advisory Committee for Siddha**
3. **Standing Finance Committee**
4. **Governing Body**

The constitution of the Governing Body and Standing Finance Committee are given below.

GOVERNING BODY

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Minister for Health and F.W. | President |
| 2. MOS for Health and Family Welfare | Vice-President I |
| 3. Secretary (AYUSH) | Vice-President II |
| 4. Additional Secretary & Financial Adviser | Member |
| 5. Joint Secretary (AYUSH) | Member |

Non-Official Members

Eminent Researcher / Teacher / Professional in Ayurveda

- | | |
|--|--------|
| 6. Dr. Ram Harsh Singh, Prof. Emeritus, BHU
Experts in Ayurveda | Member |
| 7. Dr. P. M. Varier
Medical Superintendent,
Arya Vaidyashala, Kottakkal | Member |
| 8. Dr. M.S. Baghel
Acting Vice Chancellor & Director,
IPGTRA, Gujarat Ayurved University, Jamnagar | Member |

9. Padmashri, Vd. D. Triguna
Eminent Ayurvedic Physidcian,
143-A, Sarai Kale Khan,
Nizamuddin East, New Delhi

Member

10. Dr. Jayaprakash Narayan
Vice President, CCIM
Bangalore.

Member

11. Dr. Vasudevan Namboodiri
Director (ISM),
Government of Kerala, Trivandrum

Member

Experts in Pharmacology

12. Prof. S. S. Handa

Member

Experts in Chemistry

13. Dr. G. N. Qazi
Vice Chancellor
Jamia Hamdard

Member

Experts in Botany

14. Shri. D. Narayanappa
Chief Botanist,
Tamil Nadu Medical Plants Corporation Ltd.
A. A. Hospital Capmus, Arumbakkam,
Chennai

Member

Experts in Modern Medicine

15. Dr. M. S. Valiathan,
National Research Professor,
Manipal Life Science Centre,
Manipal.

Member

Ex-Officio Member:-

16. Dr. Ramesh Babu Devalla, Director General, CCRAS , Member Secretary

The tenure of appointment of Non-Official Members shall be for a period of three years from the date of their nomination to the Governing Body

STANDING FINANCE COMMITTEE

- 1. Joint Secretary (AYUSH) Chairman**
- 2. A.S. (FA), Ministry of Health & FW Member**
- 3-4. Two technical members (one each from Ayurveda and Siddha) out of the members of the Governing Body to be nominated by the President of the Council Members**
- 5. Director General, CCRAS Member-Secretary**

Manual 9
(Directory of Officers and employees)

[Section 4 (1)(b)(ix)]

TELEPHONE LIST OF HEADQUARTERS OFFICE

EPBX NO.

28525852/28520501/28522524/28525831/28525862/28525883/28525897

CCRAS Website: www.ccras.nic.in.

CCRAS E-Mail: ccras_dir1@nic.in

CCRAS TeleFax: 91-11-28520748

Fax: 28525959

S.No.	Name/Designation	EPBX/Direct No.	Intercom	Residential
1.	Dr. Ramesh Babu Devalla, Director General	28525831 91-11-28520748 (TeleFax) 28524457, 28525520 (Direct)	224	28080652
2.	Shri Jiwan Das, Deputy Director (Admn.)	28525831 , 28525844 (Direct), 28526491 (Direct)	222	
3.	Dr. M.M. Padhi, Deputy Director (Tech.)	28525831 , 28522010 (Direct)	466	25631867
4.	Dr. M.M. Rao, AD (Ay.)	28525831		25521574
5.	Dr. N. Srikanth, AD (Ay.)	28525831	214	25082953
6.	Dr. Vasanth Kumar, AD (Chem.)	28525831	130	55667492
7.	Dr. G.V.R. Joseph A.D (Botany)	28525831	208	9868224698
8.	Dr. S. Gaidhani, A.D. (P'cology)	28525831	102	
9.	Dr. G. Senthivel R.O (Siddha)	28525831	209	25623196
10.	Dr. B.P. Dhar, RO (Pharmacog.)	28525831	133	25433288 M: 9818692544
11.	Dr. P. Pant, R.O. (Chem.)	28525852	131	9811397298
12.	Dr. D.P. Sharma Research Officer (Chem)	28525831	132	25381129
13.	Shri J.S. Rawat, Ad.O (E&V)	28525831	208	9868145355
14.	Shri B.K. Das, Admn. Officer	5599852	231	25365199
15.	Dr. Sobharan Singh, RO (Ay.)	28525831	101	25628868

16.	Dr. Adarsh Kumar,R.O. (Ay.)	28525831	104	25628868
17.	Dr.S.K. Meher, RO.(Ay.)	28525831	103	
18.	Dr. Sulochana G.Bhat, RO. (Ay.)	28525831,28525559	215	23073715
19.	Dr M M Sharma,RO.(Ay)	28525852	220	25526211
20.	Dr.Banmali Das,R.O.(Ay)	28525831	103	
21.	Dr.Sharda Otta,R.O(Ay)	28525831	106	
22.	Dr.Promila,R.O[Ay]	28525831	214	
23.	Dr.Venkateshverlu,R.O(Ay)	28525831	108	
24.	Shri A.K.Tripathi, A O	28525831 28525550	213	25071771
25.	Dr. R.P. Rai,Hindi Officer	28525831	105	26898272
26.	Mrs. Rita Hemrajani,PS to Director	25528748 (TeleFax) 28525959 (Fax)/28524457	202	26216765
27.	Dr.Arjun Singh,ARO(Chem)	28525831	137	
28.	Dr.S.M.Verma,ARO(Chem)	28525831	137	

Manual 10

(The monthly remuneration received by each of the Officers and employees)

[Section 4 (1)(b)(x)]

S.No.	Name of	Desig.	Total
	Incumbents		
1.	Dr. Ramesh Babu Devalla	Director General	124,100
2.	Sh. Jiwan Dass	D.D.(A.)	60,151
3.	Dr. M. M. Padhi	D.D. (Tech)	64,120
4.	DR.N.SRIKANTH	AD(Ay)	55,980
5.	Dr. M. M. Rao	AD(Ay)	60,408
6.	Dr. K. G. Vasantha Kumar	AD (Chem)	44,529
7.	Sh. R. K. Singhal	Statist-ical Officer	46,694
8.	Dr. (Mrs.) B. P. Dhar	R.O. (Bot)	41,803
9.	Dr.Adarsh Kumar	R.O. (Ay)	52,203
10.	Dr.(Mrs.) Sulochna G.Bhat	R.O. (Ay)	41,383
11.	Dr. GVR Joseph	A.D. (Bot)	43,877
12.	Dr. Sudesh N. Gaidhani	A.D. (Pharm)	52,549
13.	Dr. Ravinder Singh	R.O. (Chem)	39,351
14.	Dr. D. P. Sharma	R.O. (Chem)	42,525
15.	Mrs. Promila Pant	R.O.(C)	39,599
16.	Dr.R.P. Rai	Hindi Officer	38,230
17.	Mrs. Rita Hemarani	PS to Director	36,765
18.	Mrs. Kanchan Jaggi	Lib.&Inf. Asstt.	32,618
19.	Sh. Raj Kumar	O.S.	29,348
20.	Sh. R.K. Mahapatra	O.S.	31,368
21.	Mrs. Prabha Khullar	Steno Gr"B"	35,597
22.	Mrs. Gulshan Kapoor	Hindi Asstt.	30,837
23.	Sh. R. K. Rana	Stat. Asstt.	27,508
24.	Sh. Rakesh Mehta	Assistant	29,581
25.	Mrs. Santha Roy	Assistant	28,034

26.	Mrs. Neelam Chawal	Assistant	28,034
27.	Pt. Kant Mishra	H.Asstt.	28,545
28.	Sh. A.K. Meena	Assistant	25,435
29.	Sh. Ramnaresh Ram	Assist -ant	23,902
30.	Sh. M.N. Shekh	Assist-ant	26,997
31.	Sh. Silvester Bara	Assistant	24,194
32.	Sh. S. K. Budhiraja	Steno Gr"C"	31,144
33.	Smt. Charanjit Kaur	Steno Gr"C"	31,144
34.	Smt. Sunita Bhatia	Sten	31,144
35.	Sh. D. G. Nimje	Steno	25,295
36.	Miss Hemlata	Lib.&Inf. Asstt.	24,895
37.	Sh. D.S. Dahiya	Catalog	25,435
38.	Sh. N. K. Gupta	Pharmacist	29,831
39.	Sh. Kamal Kant	OMO	27,149
40.	Sh. Prakesh	Photographer	21,186
41.	Mrs. Chander kochhar	U.D.C	25,645
42.	Sh. Sitab Singh Bisht	U.D.C	25,645
43.	Sh. R. B. Chakraborty	U.D.C	22,048
44.	Mrs. Anubha Sharma	U.D.C	22,646
45.	Sh. S.B. Mishra	U.D.C	22,048
46.	Sh. Sohan Singh Rawat	U.D.C	22,048
47.	Mrs. Madhulika Malhotra	U.D.C	21,741
48.	Sh. Joginder Singh	U.D.C	21,435
49.	Sh. Chander Mohan	U.D.C	20,559
50.	Sh. Gobind Singh	U.D.C	19,347
51.	Sh. S. C. Kanojia	L.D.C	18,179
52.	Sh. Yashpal Singh	L.D.C	17,790
53.	Sh. Sukhdev Singh	L.D.C	17,089
54.	Sh. Jai Kumar	L.D.C	15,084
55.	Mrs. Hemlata	L.D.C	14,841
56.	Sh. S.K. Kataria	L.D.C	16,427
57.	Sh. Balak Ram	Driver	18,485

58.	Sh. Rajbir Singh	Driver	17,887
59.	Sh. Naginder Nath	G.O	17,173
60.	Sh. Meherwan Singh	M.R.Atttd.	16,624
61.	Sh. Diwakar Nimesh	Lab.Atttd.	18,389
62.	Sh. Surinder Dutt	Peon	16,618
63.	Sh. Ram Kishan	Peon	16,414
64.	Sh. Rishipal Singh	Chowk-idar	16,545
65.	Mrs. Rajni Prabha	Aya	16,618
66.	Dr. R. K. Tiwari	A.R.O. (Bot)	33,803
67.	Dr. M.S.Rawat	A.R.O. (Bot)	33,354
68.	Smt. Seetha Subramanian	Steno Grade'C'	31,144
69.	Sh. Faquir Chand	LDC	17,347
70.	Sh. B. K. Das	Ado(V&B)	37619
71.	Sh. A. K. Tripathi	Acctts. Officer	34735.2
72.	Sh. Daya Chand	Assistant	30107
73.	Mrs. Shashi Arora	Asstt	25960.6
74.	Mrs. Indira Kak	Steno Gr."C"	31143.6
75.	Sh. Vijay Kumar	U.D.C	20558.6
76.	Sh. Jagdish Chander	U.D.C	24894.8
77.	Sh. Anil Kumar	U.D.C	23201.2
78.	Sh. P.D.. Gupta	U.D.C	20836
79.	Sh. K.P. Singh	U.D.C	21434.6
80.	Sh. Suresh Chand	L.D.C	18762.8
81.	Sh. Sheo Prasad	U.D.C	19279.4
82.	Mrs. Maya Rawat	L.D.C	18485.4
83.	Mrs. Manju Sharma	L.D.C	13412.6
84.	Sh. P. K. Singh	L.D.C	14142.6
85.	Sh. Narender Singh	Proof Reader	16748
86.	Sh. Ami Lal	Lib Atttd.	17289.8
87.	Sh. Ramchander	Daftari	17149.4
88.	Sh. Mahinder Singh	Daftari	16691.2

89.	Sh. Thakur Singh	Peon	16618.2
90.	Sh. Anand Singh	Peon	16618.2
91.	Sh. Rajnath	Peon	13741
92.	Sh. Jagbir Singh	Peon	16413.8
93.	Sh. Ram Sagar Ram	Peon	16413.8
94.	Smt. Shamin Bano	Peon	12976.2
95.	Sh. Nakul Kumar	Peon	11998
96.	Sh. Rajnarayan	Peon	16618.2
97.	Sh. Kewala Nand	Attdt.	15324.4
98.	Sh. R. S. Rana	Peon	11472.4
99.	Sh. Sudharshan Shah	Chowkidar	16749.6
100.	Sh. Deenanath Manjhi	Peon	16472.2
101.	Mrs. Chand Kaur	Safaiwala	16749.6
102.	Dr.(Mrs.)Sharda Ota	R.O.(Ay)	47183.5
103.	DR.M.M SHARMA	R.O.(Ay)	44227
104.	DR. S.K.MEHER	R.O.(Ay)	44227
105.	DR. K. PRAMEELA DEVI	R.O.(Ay)	44227
106.	Dr. G. Senthilvel	R.O.(S)	44227
107.	Dr.Gurucharan Bhuyan	R.O.(Ay)	44227
108.	Dr.Bhagwan Sahai Sharma	R.O.(Ay)	44227
109.	Dr.Sashikant VEDI	R.O.(Ay)	44227
110.	Dr.B. Venkateshwarlu	R.O.(Ay)	44227
111.	Dr. Banmali Das	R.O.(Ay)	44227
112.	Sh.Subash Chandra Verma	A.R.O(Chem.)	27099.4
113.	Sh. Jagdish Chander Arya	R.A.(Bot)	24894.8
114.	Sh. Dalip Kumar	Peon	12173.2
115.	Sh. Arjun Singh	ARO(Chem)	21566
116.	Sh. C. V. Chacko	Acctt.	32434

Manual 11
(The budget allocated to each agency)
[Section 4 (1)(b)(xi)]

CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDA AND SIDDHA

**Sub-headwise break up of approved BE/RE2007-08 and BE 2008-09 in respect of
PLAN**

				Rs. in lakhs
S.No.	Sub-Heads	BE 2007-08	RE 2007-08	BE 2008-09
1	Pay and allowances	380.00	390.00	400.00
2	TA	15.00	10.00	15.00
3	Contingencies	200.00	310.00	350.00
4	LTC	2.00	1.00	2.00
5	Short term grant-in-aid enquiries	50.00	10.00	30.00
6	Research Activities	285.00	370.00	400.00
7	Holding of Seminar and Conference Melas/Exhibition etc.	50.00	150.00	100.00
8	Purchase of essential equipments	210.00	210.00	300.00
9	Purchase of vehicles	5.00	14.00	10.00
10	Printing and Publication	30.00	33.00	35.00
11	Capital works*	615.00	745.00	900.00
12	Video film	5.00	3.00	5.00
13	Medical Relief Camps	2.00	2.00	2.00
14	Awards and prizes	1.00	1.00	1.00
15	Special Travel Grants for attending Seminars outside India	10.00	15.00	15.00
16	Training Programme/IT Programme	5.00	5.00	5.00
17	Women Component Plan	100.00	100.00	100.00
18	North Eastern States	35.00	30.00	30.00
	Total	2000.00	2399.00	2700.00

CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDA AND SIDDHA

Headwise Bifurcation of Approved BE and RE 2007-2008 and approved BE 2008-09 in respect of Non-Plan

Rs. in lakhs				
S.No.	Sub-Heads	BE 2007-08	RE 2007-08	BE 2008-09
1	Pay and allowances	2165.00	2300.00	2400.00
2	Pension*	675.00	700.00	750.00
3	Payment of DCRG	160.00	160.00	170.00
2	TA	15.00	15.00	15.00
3	Contingencies	100.00	100.00	150.00
4	LTC	15.00	15.00	15.00
5	CGHS Contribution	7.00	8.00	10.00
6	Long Term advances a) HBA	5.00	2.00	5.00
	b) Car/Scooter/Computer Advance	5.00	5.00	5.00
7	Printing and Publications	3.00	3.00	2.00
8	Contribution towards CPF and New Pension	5.00	7.00	10.00
9	Maintenance of Council's buildings	10.00	5.00	5.00
	Total	3165.00	3320.00	3537.00

CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDA AND SIDHHA

Sub-headwise break up of approved RE 2004-05 PLAN

S.No.	Sub-Heads	BE 2004-05	RE 2004-05	BE 2005-06
1	Pay and allowances	340.00	335.00	350.00
2	TA	5.00	8.00	10.00
3	Contingencies	165.00	165.00	165.00
4	LTC	2.00	2.00	2.00
5	Short term grant-in-aid enquiries	10.00	40.00	50.00
6	Research Activities	155.00	155.00	160.00
7	Holding of Seminar and Conference	15.00	15.00	20.00
8	Purchase of essential equipments	30.00	35.00	100.00
9	Purchase of vehicles	5.00	5.00	10.00
10	Printing and Publication	15.00	25.00	20.00
11	Capital works*	30.00	30.00	320.00
12	Video film	5.00	5.00	5.00
13	Medical Relief Camps	2.00	2.00	1.00
14	Awards and prizes	1.00	1.00	2.00
15	Special Travel Grants for attending Seminars outside India	5.00	2.00	5.00
16	Training Programme/IT Programme	15.00	15.00	15.00
17	Women Component Plan			15.00
	Total	800.00	840.00	1250.00

Manual 14
(Information available in an electronic form)
[Section 4 (1)(b)(xiv)]

- 1. Background of the Council**
- 2. Aims and objectives**
- 3. Institutions**
- 4. Research Activities**
- 5. Important landmarks**
- 6. Linkages**
- 7. Patents and processes**
- 8. Major achievements**
- 9. Publications**
- 10. Application forms**
- 11. Citizens' Charter**
- 12. Tender for Canteen**

Manual 15

(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information)

[Section 4 (1)(b)(xv)]

Information can be obtained from the Headquarters Office of the Council situated at the following address:

CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDA & SIDDHA

No.61-65, Institutional Area, Opp 'D' Block, Janak Puri, New Delhi-110058

Tel: 28525831,28525852, 28525862, 28525883,28525897, 28520501

Fax: 011-28520748,

e-mail: ccras_dir1@nic.in

Website: www.ccras.nic.in

LIBRARY

The Council is maintaining a Departmental Library where publications on various subjects are available.

WEBSITE

Website <http://ccras.nic.in> can be accessed for details regarding all the schemes and programmes of the Council.

Manual 16

(Name and designation and other particulars of Public Information Officers)

[Section 4 (1)(b)(xvi)]

List of Public Information Officer

S.No.	Name and Designation of the Officer designated as PIO	Postal Address	Telephone No.	e-mail address	Demarcation of area/activities if more than one PIO is there
1.	Shri.L.K.Ganguli Admn Officer[E]	CCRAS, 61-65 Institutional Area, Opp.Janak Puri "D" Block, Room No. 207, New Delhi, 110058	28525852 (O)/207		NA

List of Assistant Public Information Officer

S.No.	Name and designation of the officer designated as APIO	Postal address	Telephone No.	e-mail address
1.	Dr.D.P.Sharma R.O.[Chem]	CCRAS, 61-65 Institutional Area, Opp.Janak Puri "D" Block, Room No. 111, New Delhi, 110058	28525831 / 111 (O)	

First Appellate Authority within the Council

S.No.	Name and Designation of the Officer designated as First Appellate Authority	Postal Address	Telephone No.	e-mail address	Demarcation of area/activities, if more than one appellate authority is there.
1.	Dr.Ramesh Babu Devalla, Director General	CCRAS, 61-65 Institutional Area, Opp. Janak Puri "D" Block, Room No. 224, New Delhi, 110058	28525520, 28524457 Fax No.28520748	ccras_dir1 @nic.in / dr-ccras@nic.in	NA

List of Assistant Public Information Officers of peripheral units of CCRAS

S.No	Name of the Unit	Telephone Nos.
1.	Director (Institute) Central Research Institute (Ay.), Road No.66, Punjabi Bagh New Delhi – 110 026	25229128 25221059 25225546(Telefax) 55182027 (R) E-mail: cria_pb@rediffmail.com cria_pb@yahoo.co.in
2.	Asstt.Director (Institute) Central Research Institute (Siddha), A.A. Govt. Hospital Campus, Arumbakkam, Chennai-600106	044/26214809(O) 26214925(G) 26631428 (R) Mobile:09444293642 E-mail: crischennai@sancharnet.in
3.	R.O.- Incharge Central Research Institute (Ay.) RA Podar College, Worli, Mumbai-400018	022/24947822(Telefax) 022/24947833 (O) Mobile:9820561496 E-mail: criamum@vsnl.net.in
4.	Director, National Institute of Ayurveda Drug Development 4 CN Block, Sector V,Bidhan Nagar Kolkata-700091	033/23673808(Telefax) 23673881 Mobile:09830054142 E-mail: crikolkata@yahoo.com
5.	Assistant Director Incharge Central Research Institute of Panchkarma, Cheruthuruthy, Via Shoranur, Trichur Distt, Kerala-679531	04884/262366(Telefax) 262543(O) 262544(H) 0466/2222125(R) M:09447443275 E-mail: criachy@sancharnet.in
6.	Assistant Director Incharge Central Research Institute (Ay.), Unit No.1 Bhubaneswar-751009	0674/2530125 (Telefax) 2531941 (H) 2432726 (R) Mobile: 09437284618 E-mail: cribbsr_Ayurveda@yahoo.co.in

7.	AD-Incharge National Institute of Ayurveda Pharmaceutical Research Moti Bagh Road, Patiala- 147001	0175/2212393 (Telefax) 2228361 (Hospital) 2212348 (R) Mobile: 3111361 E-mail: ayushpatiala@yahoo.com
8.	RO-Incharge Central Research Institute (Ay.), Govt. Ayurvedic Hospital, Amkho, Gwalior-474009	0751/2323307(Telefax) 2430317 (Fax) 2327959 (R) E-mail: ayuagwl@sancharnet.in
9.	Research Officer Incharge Central Research Institute (Ay.) 474/6, Sitapur Road, Lucknow-2206020	.0522/2369156 (Telefax) 2362341 Email vpancientayurved@yahoo.com
10.	Director , Central Research Institute (Ay.), Indira Colony, Jhotwara, Bani Park, Jaipur- 320016	0141/2281812 2282618 (Telefax) 2205098 (R) E-mail: mSCRI@sancharnet.in
11.	Assistant Director Incharge, Regional Research Institute (Ay) 1044-Jagnada Chowk, KDK College Road, Nandanwan Nagpur-440009	0712/2714230 (Telefax) 5624478 (R) 9422111851 (M) E-mail: rRINGP@sancharnet.in
12.	Assistant Director Incharge, Regional Research Instt.(Ay.), Govt. Central PharmacyAnnexe, Ashoka Pillar, Jayanagar Bangalore-560011	080/26562030 (Telefax) 2272208 (R) 9845231056 (M) E-mail: rriBanglore@vsnl.net.in
13.	Assistant Director Incharge, Regional Research Instt.(Ay.), Poojapura Thiruvananthapuram -695012	0471/2340628 (O) 2342070 (Fax) 2355119 (Res.) Mobile:9447861934 E-mail: ngkp@email.com
14.	Assistant Director Incharge, Regional Research Instt.(Ay.), Indira Gandhi Municipal Stadium Complex A,	0866/2472535 (Telefax) 2437521 (R) E-mail: rri_ayu@rediffmail.com drkayush@yahoo.com

	First Floor, North Wing Vijayawada-520010	
15.	AD-Incharge (Siddha) Regional Research Institute (Siddha) Chellaperumal Street Kuyavarpalayam Pondicherry-605006	0413/2245072 (Telefax) 2344580 (Res.) E-mail: rrisiddha@sancharnet.in
16.	R.O- Incharge, Regional Research Instt. (Ay.), D Block, Rajindra Memorial Res. Institute Building, Agam Kuan, Patna-800007	0612/2631678(Telefax)
17.	AD-Incharge Regional Research Instt. (Ay.), Borsojai (Bhetapara), Beltola, Guwahati-781028, Assam	0361/2303714
18.	R.O.-Incharge, Regional Research Instt. (Ay.), Tadung, Gangtok, Sikkim-737102	03592/231494 (Telefax)
19.	Research Officer Incharge, Regional Research Institute (Ay.) New Itanagr-791111 (Arunachal Pradesh)	0360/212284 (Telefax) 211498 (O) 212520 (R)
20.	Research Officer Incharge, Regional Research Institute (Ay.), 20, Rewari Chowk, Jammu-180005	0191/2546475(Telefax) 2573191 (R)
21.	RO Incharge, Regional Research Institute (Ay.), Gandhi Bhawan, Mandi-175001 (Himachal Pradesh)	01905/235236(Telefax)
22.	Research Officer Incharge, Regional Research Institute (Ay.), Tarikhet-263663 (Uttaranchal)	05966/264227(Telefax) 220330 (Garden) 264222 (R) E-mail: rr_rkt@rediffmail.com
23.	Research Officer In-charge, Regional Research Institute	05174/2442132(Telefax)

	(Ay.), Gwalior Road, Jhansi-284003 (U.P.)	
24.	AD-Incharge, Institute of Ayurveda Drug Research, Block 0/3 Building Mental Hospital campus, Meghamaninagar, Ahemdabad	079/27471574 (R) Mobile:9825339833(Dr. Rawal)
25.	Director In-charge, Indian Institute of History of Medicine, Osmania Medical College Buildings Putlibowli, Hyderabad-500095	040/24657388(Telefax) 27207657 (R) 24746523 (Fax) Mobile:9848275965 E-mail: iihm_ccras@yahoo.co.in Hyd2_iihm@sancharnet.in
26.	Assistant Director In-charge CSMDRIA, A.A. Govt. Hospital Campus, Arumbakkam, Chennai-600106	044/26214823 (O) 26207566 (O) 26153187 (R) E-mail: csmdria@rediffmail.com
27.	Project Officer, Dr. A. Lakshmipati Research Centre for Ayurveda,VHS Medical Centre, Adyar, Chennai-600113	044/2541537 E-mail: alrca@vsnl.net

28.	Assistant Director Incharge Ayurvedic Research Unit, NIMH&NS, Hosur Road, Bangalore-560029	080/26567546 (O) 26995243 (Direct) 26571225 (R) E-mail: ayurveda@nimhans.kar.nic.in
29.	R.O.In-charge, Regional Research Institute(Ay.), JNAMPG&H, Kothrud, Nehru Garaden, Pune.-411038	020-2583138(O) 020-25386715(O) 020-25390857(R) E-mail: inampgh@pn2.vsnl.net.in
30.	Project Officer, Clinical Research Unit (Siddha) Govt. Siddha Medical College,	0462/2572736 2580845 (Fax) 2579841 (Fax)

	Palayamkottai- 627002 Tirunelveli Distt. (Tamil Nadu)	
31.	Research Officer Incharge, Tribal Health Care Research Project, Car Nicobar-744301	03193/265211(0) 265212 (R)
32.	Research Officer In- charge, Sowa Rigpa (Amchi) Research Centre, Leh-194101	01982/252449 264054 (R)
33.	The Project Officer, Clinical Research Unit (Siddha), Santhigiri Siddha Medical College, Thiruvananthapuram	